

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय अकादमिक और इण्डिया नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विधेयक सारणी तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद उपाध्यक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभितों द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार जताते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता सभितों को बैठक के पृष्ठ-3 में विधेयक इन कानूनी पाठ्यक्रम संघारित करने वाली शर्तों एवं सम्बद्धता संस्थाओं का प्रकाश प्राप्त गया। सम्बद्धता सभितों द्वारा गहन विचार-विमर्श एवं विमर्शानु निर्णय लिया गया -

- निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कानूनी पाठ्यक्रम संघारित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभितों द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता सभितों की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का क्षेत्र	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	बिहार	एनएलएनएल कॉलेज-मुजफ्फर, पो-बदली, दरभंगा।	उपरोक्त एवं अन्य	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।
- ✓ सत्र 2020-21 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा परिषद विधेयक(सी 198), संशोधित विधेयक(सी-2014) तथा अन्य विहित विधानों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सभितों द्वारा निर्धारित शुल्क हीन नहीं होगी। पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कानूनी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की कानूनी पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कानूनी पाठ्यक्रम के अंतर्गत) हेतु ₹ 22,500.00/-





- ✓ संघ को एम.बी.बी.डी.सी.पी.सी.ए.पी.सी. के अंतर्गत बन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संघ को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कबले गये विधिविधानी अधिनियमों/कानून/नियंत्रणों/निर्देशों पर निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर, शिक्षा प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर द्वारा कबले गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ शिक्षण का प्रणाली परामर्शकों की संस्थाएं होते ही नहीं, उन्हें दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक होती है जो इस संस्था में समस्त उच्चतर/प्रवेश परीक्षा का उच्च और विधिक रूप से किसी भी कानून/नियम के लिए बाध्य कबले जायेगा/जायेगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक उच्च प्रदेश सरकार को कोई बात दायर किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संस्था में ना, सम्बन्धित बात किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्देश किया जाता है जो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ शिक्षण का प्रणाली परामर्शकों संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रदेश सरकार द्वारा कबले गये के लिए, अधीनस्थ प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व प्रवेश/नियमों से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/कानून/नियमों को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा उन्हें प्रवेश की (सर्वोच्च) के माध्यम से कबला संस्था को पर लेने प्रवेश) अनुमति नहीं (दान की जायेगी)।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कबले गये विधि अधिनियम आदेश/नियमों का अनुमोदन करने आवश्यक होगा।
- ✓ संघ को अपने वेबसाइट पर संघ की समस्त सूचनाएं जैसे संघ की ऐतिहासिक प्रति भूमि, सभा, संघ-संस्था, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला सुझाव, उपाय/सुझाव आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संघ को शिक्षण अधिनियम हेतु उपयुक्त कानून/नियमों बनाने के लिए तैयार होने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संघ को सुनिश्चित होनी है कि संघ में प्रशासनिक संबंधित परामर्शकों को कबले जाने हेतु नियमित रूप से के सम्बन्ध उपलब्ध कराने गये अधिनियम, सुविधाएं, कर्मियों, उपकरण इत्यादि का यदि संघ द्वारा किसी अन्य परामर्शकों के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संघ उपलब्ध का द्वारा किसी अन्य कर्मों के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बन्धित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता को करनी।
- ✓ संघ के संबंधित शिक्षण योजना यदि संघ में भूमि, भवन, कर्मचारियों, उपकरण एवं अन्य सम्बन्धित एम.बी.बी.डी.सी.पी.सी.ए.पी.सी. के मानक/नियम उपलब्ध नहीं तथा प्राप्त है तो संघ को सम्बन्धित संस्था को देना होगी।
- ✓ सम्बन्धित कर्मों का अनुमोदन न किये जाने अथवा कर्मों का उत्सर्जन किये जाने की स्थिति में विचार/सुझाव अनुमोदन/नियमों/नियंत्रणों की जायेगी।

(दहीर कुमार सोनवार)

सचिव

पू.सं. प्राथमिक/परिषद सम्बन्धित/2021/0530-4308

दिनांक: 09/08/2021

प्राथमिक

प्राथमिक शिक्षण LPM COLLEGE OF PHARMACY, VILL-PURNACHHAPAR POST, BHATNI, DEORIA-274701

  
(दहीर कुमार सोनवार)

सचिव

## कार्यालय

### राष्ट्रीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविषा/परिषद सम्बद्धता/2022/10235

लखनऊ दिनांक: 04/11/2022

### कार्यालय द्वारा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय कार्यालय ज्येष्ठ इंजीनियर, नई दिल्ली द्वारा संकेत संख्या 2022-23 हेतु विभागात्मक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तयगत प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 04/11/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा संख्या 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने प्रयत्न करना सुनिश्चित करने पर विचार करते हुए संख्या 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विषय संबंधित के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संख्या 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 4097-LPM COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एओआईसीटीआईओ पीसीआईओ द्वारा संख्या 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संख्या 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एओआईसीटीआईओ पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद एवं 1962 तथा प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली 2016 तथा सामान्य धर निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क जैन वर्षीय टैली पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150,000- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000,000- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500,000- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश उपरान्त से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपरान्त में से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साशन द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले मानकों पर ध्यान देना होगा, और उपरान्त निर्धारित किये जाने आवश्यक होगा। जिस निर्धारण समिति द्वारा संख्या 2022-23 हेतु प्रवेश का पूर्णतः पालन किया जाता है, तो फीस भी वहीं-वही धर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश साशन द्वारा निर्दिष्ट विनियमवली-अतिरिक्त/आयुक्त/अतिरिक्त/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रौद्योगिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संख्या 2022-23 हेतु प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से निर्णय विनियमवली-आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०टी०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और किंहीं भी कार्यवाही के लिए संस्था अन्य उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम दायर किया जाता है तथा दायर कदम के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित कार्याचारित्र प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०टी०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (कार्याचारित्र के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर आयी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पूर्ति भूमि, स्टाफ, सार्व-सन्ना, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविष्टि हेतु उपयुक्त कक्षावर्ण उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संरक्षित पाठ्यक्रम को पढाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-माल, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किंहीं अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औद्यक सहाय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, माल, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साव-सन्ना ए०आई०सी०टी०टी०पी०सी०आई०परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमावली अनुसंधानात्मक कार्यवाही प्रदी जायेगी।

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

पू०स०. प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2022/10236-10244

दिनांक: 04/11/2022

प्रतिरिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक LPM COLLEGE OF PHARMACY

  
(एफ०आर० खान)

सचिव